



प्रेषक,

दीपक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026

**विषय :** वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ता के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:-

चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते को निम्नानुसार संशोधित किया जाय :-

| चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ता |                                                                                             |                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| (क) वर्दी की दरें :-                                                                    |                                                                                             |                                    |                             |
| प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वर्दी भत्ता (रूपये में)                                      |                                                                                             |                                    |                             |
| क्र०सं०                                                                                 | पदनाम                                                                                       | वर्तमान में लागू दरें/<br>व्यवस्था | पुनरीक्षित<br>दरें/व्यवस्था |
| (1)                                                                                     | (2)                                                                                         | (3)                                | (4)                         |
| 1                                                                                       | छात्र नर्स                                                                                  | 2500                               | 4500                        |
| 2                                                                                       | उपचारिका सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ उपचारिका सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 (वरिष्ठ मैट्रन के स्तर तक) | 2500                               | 4500                        |
| (ख) वर्दी नवीनीकरण हेतु अनुमन्य दरें :-                                                 |                                                                                             |                                    |                             |
| (रूपये में)                                                                             |                                                                                             |                                    |                             |
| क्र०सं०                                                                                 | पदनाम                                                                                       | वर्तमान में लागू दरें/<br>व्यवस्था | पुनरीक्षित<br>दरें/व्यवस्था |
| (1)                                                                                     | (2)                                                                                         | (3)                                | (4)                         |
| 1                                                                                       | छात्र नर्स                                                                                  | 2500<br>(केवल एक बार)              | 4500<br>(केवल एक बार)       |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|   |                                                                                             |                                |                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2 | उपचारिका सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ उपचारिका सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 (वरिष्ठ मैट्रन के स्तर तक) | 2500<br>(प्रत्येक 05 वर्ष बाद) | 4500<br>(प्रत्येक 03 वर्ष बाद) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

(ग) **वर्दी धुलाई भत्ते की दरें (प्रतिमाह) :-**

| क्र०सं० | पदनाम                                                                                       | वर्तमान में निर्धारित दरें (रु० में) | पुनरीक्षित दरें (रु० में) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| (1)     | (2)                                                                                         | (3)                                  | (4)                       |
| 1       | छात्र नर्स                                                                                  | 100                                  | 150                       |
| 2       | उपचारिका सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ उपचारिका सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 (वरिष्ठ मैट्रन के स्तर तक) | 100                                  | 150                       |

2- उक्त भत्तों की संशोधित दरें विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने के दिनांक से लागू होंगी।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
दीपक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-16/2026-वे०आ०-2-455(1)/दस-2026, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01
- (2) कार्मिक नियमावली सेल

आज्ञा से,  
पुष्पराज,  
विशेष सचिव।